कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली।

संख्या 95666 — 95720/हिन्दी/केन्द्रीय/238/2022 दिल्ली, दिनांक 22 DEC 2022

प्रापक,

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/
प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रभारी,
समस्त अनुभाग, केन्द्रीय जिला,
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

बैठक की सूचना/मीटिंग नोटिस
दिनांक 10 जनवरी 2023, मंगलवार, सांय 04:00 बजे कक्ष संख्या 135,
प्रथम तल, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

विषय :- केन्द्रीय जिला के नोडल अधिकारी के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक)/ प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुखों की बैठक आयोजित करने संबंधित।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार व प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में केन्द्रीय जिला में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक) व अनुभाग प्रभारियों के साथ बैठक दिनांक 10.01.2023 (मंगलवार) को सांय 04:00 बजे कक्ष संख्या 135, प्रथम तल, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में होनी सुनिश्चित हुई है। यह बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी।

बैठक में विचारणीय विषय निम्न प्रकार हैं:–

1. त्रैमासिक रिपोर्ट के विषय पर चर्चा।
2. वर्तमान में सभी अनुभागों में जो कार्य हिन्दी भाषा में किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करना।
3. हिन्दी भाषा में कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों (यदि कोई है तो) के विषय में जानकारी प्राप्त करना और उनका समाधान निकालने का प्रयास करना।

4. उन कार्यों पर चर्चा करना जिन्हें संबद्ध अधिकारी व कर्मचारी सुगमता से हिन्दी भाषा में निष्पादित कर सकते हैं।

5. समस्त अनुभागों में उपलब्ध मोहरों व नामपट्टिकाओं का द्विभाषी होना सुनिश्चित किया जाए।

6. हिन्दी में प्राप्त हुए पत्रों के उत्तर आवश्यक तौर पर हिन्दी भाषा में दिए जाने संबंधित विषय पर चर्चा करना और आवश्यक निदेश देना।

7. समस्त अनुभागों में उपलब्ध प्रपत्र हिन्दी/ द्विभाषी होना सुनिश्चित किया जाए।

उपर्युक्त विषयों के अलावा राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार के संबंध में अन्य विषय अधोहस्ताक्षरी की अनुमति से बैठक में रखे जा सकते हैं।

बैठक में आपकी उपस्थिति अनिवार्यतः अपेक्षित है। अतः निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित हों।

धन्यवाद,

साक्षी 19/12/22

(साक्षी जायसवाल)
नोडल अधिकारी/समन्वयक (केन्द्रीय जिला),
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
महानगर दंडाधिकारी (प्रकाम्य लिखत अधिनियम)–05
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

संख्या 95721 – 95722/हिन्दी/केन्द्रीय/238/2022 दिल्ली, दिनांक 22 DEC 2022

पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित की जाती है :–

1. अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में पेशकार।

2. देखरेख अधिकारी, देखरेख शाखा, केन्द्रीय जिला, उक्त संदर्भित बैठक के लिए कक्ष संख्या 135, प्रथम तल, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली का प्रबंध करने व जलपान की व्यवस्था करने हेतु।

साक्षी 19/12/22

नोडल अधिकारी/समन्वयक (केन्द्रीय जिला),
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

195